

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बड़जलास-श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या-93/2026

GCMS No.- 2026/104

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री जीतमल पुत्र श्री रामलाल, प्रबन्धक, मैसर्स जीतमल टी स्टॉल मानासर चौराहा नागौर तहसील व जिला नागौर मोबाईल नं०-9314157000

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम
गैस(प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे है।

निर्णय

दिनांक :- 08.04.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना-पत्र गैर सायल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण गैर सायल के विरुद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भेजने के बावजूद उनकी ओर से आज तक कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में जाती है।

प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 12.03.2026 को समय 06.00 पी.एम. बजे श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी हमराह श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षण व श्री जितेन्द्र बंशीवाल प्रवर्तन निरीक्षक मैसर्स जीतमल टी स्टॉल मानासर चौराहा नागौर तहसील व जिला नागौर पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री जीतमल पुत्र श्री रामलाल उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को मैसर्स जीतमल टी स्टॉल मानासर चौराहा नागौर तहसील व जिला नागौर का प्रबन्धक होना जाहिर किया। मौके पर निरीक्षण के दौरान उक्त फर्म द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग का कार्य करना पाया गया। परिसर की तलाशी लेने पर मौके पर 01 घरेलू गैस के सिलेण्डर पाया गया जो भट्टी से गैस पाईप लाईन के जरिये जुड़ा पाया गया। इस




कलक्टर नागौर

प्रकार मौके पर पाया गया कुल 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त किया गया एवं मौके पर ही गैस एजेन्सी मैसर्स गहलोट गैस सर्विस नागौर के तोलयंत्र से तोलकर वजन किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर का विवरण इस प्रकार है :-

क्र. सं.	एस. आर. नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	825459-S	HPCL	21.6	15.6	6.0	-

उपर्युक्तानुसार जब्तशुदा 01 घरेलू गैस के सिलेण्डर को मौके पर ही श्री सुरेन्द्र सिंह प्रतिनिधि गहलोट गैस सर्विस नागौर को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल जीतमल स्वयं के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रकट है कि जब्ती कार्यवाही गैर सायल स्वयं की उपस्थिति में की गई है, जिससे यह प्रतीत होता है कि गैर सायल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण में जब्त सुदा एक घरेलू सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तसुदा गैस सिलेण्डर मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जावे तथा बाकि सामग्री को नियमानुसार निलाम किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, नागौर